रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ—

I 1997-98 के वर्ष के लिए भारत सरकार (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) और कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बीच संपत्र सहमति ज्ञापन।

[Placed in Library. *See* No. LT. 1850/97]

II (a) 1997-98 के वर्ष के लिए भारत सरकार (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग) और पाइराइट्स फास्टेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बीच संपत्र सहमति ज्ञापन।

[Placed in Library. *See* No. LT. 1851/97]

(b) 1997-98 के वर्ष के लिए भारत सरकार (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग) और दि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के बीच संपत्र सहमति ज्ञापन।

[Placed in Library. *See* No. LT. 1852/97]

(c) 1997-98 के वर्ष के लिए भारत सरकार (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बीच संपत्र सहमति ज्ञापन।

[Placed in Library. *See* No. LT. 1845/97]

Report and Accounts (1995-96) of the Goa Meat Complex Ltd, Panjin, Goa and related papers

कृषि मंत्रालय में पशु पालन और डेरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ —

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1995-96 के वर्ष के लिए गोवा मीट काम्प्लेक्स लि०, पंजिम—गोवा का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित।

(ii) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

II उपर्युक्त (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. *See* No. LT. 1889/97]

Notification of the Ministry of Railways

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ) Madam: I lay on the Table —

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways, Notification G.S.R. No. 201(E), dated the 9th April, 1997, publishing the Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fares) Amendment Rules, 1997, under Section 199 of the Railways Act, 1989.

[Placed in Library. *See* No. LT. 1923/97]

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways, Notification G.S.R. No. 151(E), dated the 15th March, 1997, publishing the Railways Protection Force (Second Amendment) Rules, 1997, under sub-section (3) of Section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957.

[Placed in Library. *See* No. LT. 1920/97]

Reports and Accounts (1994-95 and 1995-96) of various educational institutions and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA) Madam: I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report of the Auroville Foundation, Auroville, Tamil Nadu, for the year 1995-96 under sub-section (3) of section 24 of Auroville Foundation Act, 1988.

(b) Annual Accounts of the Auroville Foundation, Auroville, for the year 1995-96 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 26 of Auroville Foundation Act, 1988.